



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276091
CG-DL-E-09092026-276091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4819]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4819]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5009(अ).— कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1433(अ), तारीख 29 मई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 29 मई, 2015 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, “निवेश की पद्धति” स्तंभ के अधीन, “ऋण लिखत तथा संबंधित निवेश” शीर्ष के अधीन, श्रेणी सं. ii के समक्ष, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ग) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए कम से कम तीन वर्षों की बकाया परिपक्वता वाले रूपए बंध पत्र।”

[फा. सं. जी-20031/03/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1433(अ), तारीख 29 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3035(अ), तारीख 22 सितंबर, 2016, का.आ. 28(अ), तारीख 4 जनवरी, 2021, का.आ. 1709(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2021 और का.आ. 3892(अ), तारीख, 1 सितंबर, 2023 द्वारा इसमें संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5009(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1433(E) dated the 29th May, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th May, 2015, namely:—

In the said notification, in the Table, under column “Category/Sub-Category”, under the heading “Debt Instruments and Related Investments”, against Category No. (ii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least three years issued by institution of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, Asian Development Bank and New Development Bank.”

[F. No. G-20031/03/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1433(E), dated the 29th May, 2015 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 3035(E), dated the 22nd September, 2016 and S.O. 28(E), dated the 4th January, 2021, S.O. 1709 (E), dated the 29th April, 2021 and S.O. 3892(E) dated the 1st September, 2023.